FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector SINGRAULI

****

No 920 /FRA/TRIBAL/49/2016 SINGRAULI Dated 26-03-2016

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCREN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (FRA, for short) of the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 390.264 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Bina Kakari Amalgamation Project of M/s Northern Coalfields Limited, Singrauli (Govt. of India Undertaking)for Opencast Coal Mining inSingrauli district falls within jurisdiction of Ward No. 11, Dayanand Ward(Village – Dudhichua, Karuwari, Churideh &Jhingurda) in Singrauli Nagar Palik Nigam (Municipal Corporation).

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 390.264 hectares of forest land purposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the MohallaForest Rights Committees(s), Mohalla Sabha(s), Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli are enclosed as annexure 1 to annexure 2.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular / local language) have been places before each concerned Mohalla Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned Mohalla Sabha(s), has certified that all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood the purpose and the details for proposed diversion. A copy of certificate issued by the Mohallasabha of Ward No. 11, Dayanand Ward(Village – Dudhichua, Karuwari, Churideh &Jhingurda) in Singrauli Nagar Palik Nigam (Municipal Corporation). Sub-Division Level Forest Rights Committee, Waidhan, Singrauli & District levelForest Rights Committee, Singrauli and is enclosed as annexure 3 to annexure 4.

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when it was a quorum of minimum 50% of the members of Mohalla Sabha presence.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Mohalla Sabhas have given their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl.As above.

(SHASHANK MISHRA)
Collector
DISSTT-SINGRAULI

Annexure - 1

बैठक दिनांक - 03/02/2016

आज दिनांक 03/02/2016 वार्ड क्र० 11 (दयानंद वार्ड) में मोहल्ला [illegible] समीति की बैठक बुलायी गई। जिसमे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों की दावा प्रस्तुत करने हेतु परीक्षण किया गया।

डोंगाकुआ संरक्षित वन खण्ड (PF-258, 259, 260, 261 एवं 262) में ग्राम डोंगाकुआ, कसआरी, चुरीदेह एवं सोंगुरदह में वन भूमि क्षेत्रफल क्रमशः ग्रामानुसार 69.645 हे, 76.089 हे०, 180.401 हे० एवं 44.017 हे० कुल 370.152 हे० बीना ककरी एकीकरण परियोजना के लिए व्यपवर्तन की जानी है।

प्रस्तावित वनभूमि में वन अधिकार का दावा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत निम्नानुसार पायी गई।

क्र०	ग्राम का नाम	वन अधिकार पत्र धारक का नाम	खसरा नं०	रकबा हे०

मोहल्ला बाल अधिकारसमीति के अध्यक्ष
व सदस्य

क्रमांक	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	बिट्टी देवी	अध्यक्ष	बिट्टी देवी
2.	जग जीवन सिंह	सचिव	[signature]
3.	मिस्ताउल हक	सदस्य	[signature]
4.	हीरा सिंह	सदस्य	[thumbprint]
5.	पप्पु सिंह	सदस्य	
6	लाल सिंह	सदस्य	
7	शरत लाल	,,	
8	किसमतिया	सदस्य	
	शेखर सिंह	सामाजिक [illegible]	
	अफसरी हक	पार्षद वार्ड - 11	[signature]

दिनांक - 03/02/2016

सम्मानीय उपस्थित नागरिक गण ! -

क्र०	नाम	हस्ता०
1.	राम सिंह	रामसिंह
2	माधव सिंह	
3	सवाई लाल सिंह	सवाईलाल
4.	जनकधारी सिंह	
5.	विजय साकेत	विजय
6.	बाबूराम साकेत	बाबूराम
7	वीर सिंह	
8	जगप्रसाद	जगप्रसाद
9	राजेश कु० चौधरी	[illegible]
10	T. B. शर्मा	[illegible]
11	राजेश कुमार	[illegible]
12	संजीव पटेल	संजीव पटेल
13	संदीप पाण्डे	[illegible]
14	अश्वनी दुबे	[illegible]
15	छोटेला	
16	लालती कोल	

बैठक दिनांक 10/2/2016.

वार्ड क्रमांक 11 दयानन्द

"आज दिनांक 10/2/2016 वार्ड क्रमांक 11 दयानन्द वार्ड वनाधिकार की बैठक बुलाई गई जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत वन अधिकारों का दावा प्रस्तुत एवं परीक्षण किया गया।

"दुल्हापुर संरक्षित वन खण्ड (PF 258, 259, 260, 261, एवं 262, में ग्रामों दुल्हापुर कुडआरी, सुरेहिर एवं गिधुरहई में वनभूमि क्षेत्रफल क्रमशः ग्राम अनुसार 69.645 हे० 76.089 हे० ~~258~~, 120.401 हे० एवं 44.017 हे० कुल 310.52 हे० भूमि [illegible] एकीकरण परियोजना के लिए व्यपवर्तन की जानी है।

"प्रस्तावित वनभूमि में वन अधिकार का दावा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, के तहत निम्नानुसार पाई गई।

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार पत्र धारक का नाम	खसरा नं०	रकबा हे०

10/2/2016

महिला बाल अधिकार समिति के अध्यक्ष व सदस्य

क्रमांक	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमती बिट्टो देवी	अध्यक्ष	बिटटी देवी
2.	" किस्मतिया देवी	सदस्य	
3.	" मिफ्ताउल हक	सदस्य	10/2
4.	" जगजीवन लाल सिंह	सचिव	10/2

Annexure-2

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक का कार्यवाही विवरण

कार्यालयीन सूचना क्रमांक 15974 दिनांक 16/02/16 के निर्धारित कार्यक्रमानुसार एन सी एल निगाही खुली खदान के लिए 424.517 हे० तथा ब्लॉक पारी मौजा [illegible] हेतु ~~वार्ड क्र० 11~~ 390.264 हे० वनभूमि जो कि वार्ड क्रमांक क्रमशः वार्ड क्रमांक 02 एवं 10 तथा 11 की वन भूमि व्यपवर्तन के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बैढ़न, सिंगरौली की बैठक, उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली की अध्यक्षता में दिनांक 24/02/2016 को निर्धारित समय एवं स्थान पर संपन्न हुई। जिसमें निम्नानुसार समिति के पदाधिकारी उपस्थित हुए जिसका विवरण निम्नानुसार है। —

1) उपखण्ड अधिकारी, सिंगरौली — अध्यक्ष [signature]
2) उप वन मण्डलाधिकारी, ~~उप वन उप~~ — उप वनमंडल, बैढ़न [signature]
3) श्री जनकधारी सिंह गोंड — सदस्य / पार्षद वार्ड क्र. - 01 [signature] 24/2/16
4) श्रीमती अनारकली — सदस्य / पार्षद वार्ड क्र. 06
5) श्रीमती मुनिया देवी — सदस्य / पार्षद वार्ड क्र. - 07 मुनिया
6) ,, अफसरी हक — ~~सदस्य~~ / पार्षद वार्ड क्र. - 11

7) श्री सी. पी. पाण्डेय — उपायुक्त/सचिव नगर निगम सिंगरौली — [signature] 24/2/16

8) जोनल अधिकारी उप कार्यालय नगर निगम सिंगरौली, मोरवा — [signature] 24/2/16

9) श्रीमती शांति देवी — पार्षद वार्ड क्र० 10 — शांति देवी

कलेक्टर, जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक/3079/ आदि०वि०/वन अधि०/41/2015, सिंगरौली दिनांक 12/10/2015 के अनुसार गठित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, वैढ़न, सिंगरौली (म०प्र०) की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2016 को उपायुक्त नगर निगम/सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, के सूचना क्रमांक/15975/उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति/2016 सिंगरौली दिनांक 16.02.16 के उपरान्त हुई। (अ) इस बैठक में निगाही परियोजना के वन भूमि से संबन्धित हुई चर्चा निम्नलिखित है :-

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक मे एन.सी.एल. के निगाही खुली खदान के लिए 424.37 हे० वन भूमि अपवर्तन (डायवर्सन) के लिए अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत निगाही परियोजना के प्रस्तावित वन भूमि मे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक दावा प्राप्त करने एवं आगे के कार्यवाही हेतु संबंधित लक्ष्मी बाई वार्ड क्र० 02 (ग्राम मुहेर एवं निगाही) एवं तानसेन वार्ड क्र० 10 (मेढ़ौली) के मोहल्ला समितियों द्वारा गठित मोहल्ला वन अधिकार समितियों की कार्यवाही की जांच किया गया। उपखण्ड

स्तरीय वन अधिकार समिति के जांच के उपरान्त बिन्दुवार निम्नलिखित बातें पायी गयी।

1- दिनांक 17 मार्च 2015 को स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर मे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किया गया। जिसमें निगाही परियोजना हेतु वन भूमि अपवर्तन संबन्धित ग्राम मेढ़ौली [illegible] निगाही के वार्डों मे दिनांक 01.04.2015 को मोहल्ला समितियों / वन अधिकार समितियों की बैठक की जानकारी दी गई तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने की भी जानकारी दी गई।

2- लक्ष्मी बाई वार्ड क्र० 02 (ग्राम मुहेर एवं निगाही) एवं तानसेन वार्ड क्र० 10 ग्राम मेढ़ौली मे मोहल्ला समिति द्वारा वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 01.04.15 एवं 02.04.15 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार किया गया है।

3- वन अधिकार समितियों की बैठक लक्ष्मीबाई वार्ड क्र० 02 (ग्राम मुहेर एवं निगाही) में दिनांक [illegible] से दिनांक 15.07.15 तक लगभग प्रत्येक बुधवार को होती रही तथा तानसेन वार्ड क्र० -10 (ग्राम मेढ़ौली) मे दिनांक 02.04.15 से दिनांक 08.07.15 तक लगभग प्रत्येक बुधवार को होती रही। लक्ष्मीबाई वार्ड क्र० -02 (ग्राम मुहेर एवं निगाही) एवं तानसेन वार्ड -10 (ग्राम मेढ़ौली) मे मोहल्ला समितियों एवं मोहल्ला वन अधिकार समितियों द्वारा भी व्यापक प्रचार एवं प्रसार कर बताया गया कि निगाही परियोजना के प्रस्तावित 424.517 हे० वन भूमि से संबंधित कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी यदि कोई वन अधिकार संबंधी उचित दावा [illegible] दस्तावेज के साथ वन अधिकार से संबंधित व्यक्तिगत या सामूहिक दावा प्रस्तुत करें।

4- दिनांक 15.7.15 को (लगभग 3 महिने 3 सप्ताह) लक्ष्मीबाई वार्ड क्र० - 02 (ग्राम मुहेर एवं निगाही) एवं दिनांक 08.07.2015 को लगभग 3 महीने उपरान्त

तानसेन वार्ड क्रमांक 10 (ग्राम - मेढ़ौली) दोनों वार्डों के मोहल्ला वन अधिकार समितियों ने अपने बैठकों का सारवृत्त मोहल्ला समिति के समक्ष रखा जिसमें निगाही परियोजना के अपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमियों पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी द्वारा वन अधिकार से संबंधित व्यक्तिगत या सामूहिक मान्य दावेदार नहीं पाये गये। तदुपरान्त मोहल्ला समितियों ने निगाही परियोजना के प्रस्तावित वन भूमियों पर उत्खनन हेतु अपवर्तन किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्ज की गई। अन्तत: दोनों वार्डों के मोहल्ला वन अधिकार समितियों के कार्यवाही से संतुष्ट होकर मोहल्ला समिति लक्ष्मीबाई वार्ड क्र० 2 (ग्राम - निगाही एवं मुहेर) एवं तानसेन वार्ड क्र० 10 (ग्राम - मेढ़ौली) ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत निगाही परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमियों के अपवर्तन की अनुशंसा की।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ने मोहल्ला समितियों / मोहल्ला वन अधिकार समितियों लक्ष्मीबाई वार्ड क्र० - 02 (ग्राम - निगाही एवं मुहेर) एवं तानसेन वार्ड क्र० - 10 (ग्राम - मेढ़ौली) ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत निगाही परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमियों के अपवर्तन की अनुशंसा की। (ग्राम - मेढ़ौली) के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत की गई कार्यवाही पर भूमियों पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी द्वारा वन अधिकार से संबन्धित व्यक्तिगत या सामूहिक मान्य दावेदार नहीं होने की स्थिति में यह पाया कि किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों का विनिश्चय करने की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सिंगरौली परियोजना के लिए प्रस्तावित 424.517 हे॰ वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तावित वन भूमियों पर उत्खनन हेतु अपवर्तन की अनुशंसा करती है।

(ब) इस बैठक मे बीना परियोजना के वन भूमि से संबन्धित हुई कार्यवाही का ब्यौरा निम्नलिखित है.

2- कलेक्टर, जिला सिंगरौली के पत्रांक 3079/आदि॰ वि॰ अधि॰/41/2016 सिंगरौली दिनांक 12.10.2015 के अनुसार गठित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, बैढ़न सिंगरौली (म॰प्र॰) की बैठक दिनांक 24.02.2016 को आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली/सचिव, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के सूचना क्रमांक/159751 उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक में एन॰सी॰एल के बीना परियोजना के खुली दिनांक 10.02.2016 के उपरान्त हुई कार्यवाही के ब्यौरा निम्नलिखित है!=

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक मे एन॰सी॰एल॰ के बीना परियोजना के खुली खदान के लिए 370.152 हे॰ वन भूमि तथा 20.112 हे॰ राजस्व वन भूमि का कुल 390.264 हे॰ वन भूमि के अपवर्तन (डायवर्सन) के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत बीना ककरी एकीकरण परियोजना के लिए प्रस्तावित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत निवासी के वन अधिकारों के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक दावा प्राप्त करने एवं आगे की कार्यवाही हेतु संबन्धित वार्ड क्रमांक 11 (दयानन्द) वार्ड के चार ग्रामों (कुदहीकुआ 69.645 हे॰, ककरी आरी-76.089 हे॰ चुरीदेह-196.580 एवं झींगुरदह 48.00 हे॰) के मोहल्ला

वनाधिकार समिति निम्नलिखित बात पायी गयी।

1- दिनांक 22.01.2016 एव 01.02.2016 को क्रमशः स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं दैनिक जागरण मे सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किया गया, जिसमे बीना, कटनी एकीकरण परियोजना के लिए वन भूमि के प्रपर्वन संबन्धित चार ग्रामो कुदीचुआ, करसआरी, चुरिहट एवं झिगुरह के वार्ड क्र० 11 मे दिनांक 25.01.2016 को मोहल्ला वनाधिकार समिति वार्ड क्र० 11 के द्वारा बैठक किया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने की जानकारी दी गयी।

2- वनाधिकार समितियों के बैठक दयानन्द वार्ड क्र० 11 मे दिनांक 25.01.2016 से 10.02.2016 तक प्रत्येक बुधवार को होती रही। मोहल्ला वनाधिकार समिति द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार कर बताया गया कि बीना कटनी एकीकरण परियोजना के प्रस्तावित 390.264 हे० वन भूमि से संबन्धित कोई अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत अन्य निवासी यदि कोई वन अधिकार संबंधित उचित दावा रखते है तो वह संबन्धित दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत या सामूहिक दावा प्रस्तुत करें।

3- दिनांक 10.02.2016 वार्ड क्र० 11 के मोहल्ला वन अधिकार समिति ने अपने बैठक का सार वृत्त मोहल्ला समिति के समक्ष रखा जिसमें बीना कटनी एकीकरण परियोजना के प्रपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमियों पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी द्वारा वन अधिकार से संबंधित व्यक्तिगत या सामूहिक कोई दावा नहीं प्राप्त किये गये। तद् द्वारा वन अधिकार से संबंधित व्यक्तिगत या सामूहिक कोई मोहल्ला समिति वार्ड क्र० 11 द्वारा बीना कटनी एकीकरण परियोजना वन भूमियों पर उत्खनन कार्य हेतु किसी प्रकार

की आपत्ति दर्ज नहीं की गई। अतः दमानत वार्ड क्र० 11 के मोहल्ला वन अधिकार समिति ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमियों के अपवर्तन की अनुशंसा की।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ने मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क्र० 11 के चारो ग्रामो (कुलीचुआ, करआरी, चुटीदह एवं सिद्धखड़) के [illegible] अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत की गई कार्यवाही पर पूरी तरह संतुष्टि दिखाई तथा बीना ककरी एकीकरण परियोजना के अपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमियों पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी द्वारा वन अधिकार से संबंधित व्यक्तिगत या सामूहिक मान्य दावेदार नहीं होने की स्थिति में यह पाया गया कि किसी भी अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों का विनिश्चय करने की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ने बीना परियोजना द्वारा बीना ककरी एकीकरण परियोजना के लिए प्रस्तावित वन भूमियों का अपवर्तन कोयले के उत्खनन कार्य हेतु किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गई एवं प्रस्तावित वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के व्यक्तिगत या सामूहिक दावेदार नहीं पाये गये।

अतः उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बीना परियोजना द्वारा बीना ककरी एकीकरण परियोजना के लिए प्रस्तावित 340.284 हे० वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तावित वन

वन भूमियों पर उत्खनन हेतु अपवर्तन की अनुशंसा करती है।

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
(सिंगरौली)
(उपखण्डीय)

सचिव
वन अधिकार समिति
(उपखण्डीय)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
(सिंगरौली)

Annexure - 3

आदिवासी विकास वन अधिकार समिति एवं मोहल्ला वनाधिकार सभा
वार्ड क्रमांक 11 (दयानन्द वार्ड)

क्रमांक 2/16/16 दिनांक 16/2/16

प्रति,

आयुक्त नगर पालिक निगम,
सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म॰प्र॰)

प्राप्त 16/2/2016

विषय :- बीना ककरी एकीकरण परियोजना के लिए वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत नगरीय क्षेत्र में वन अधिकार के दावों का निराकरण करने हेतु मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क्र॰ 11 की कार्यवाही के संबंध में ।

महोदय,

विषयांकित बीना परियोजना के लिए आवश्यक वन भूमि नगर निगम सिंगरौली क्षेत्र म॰प्र॰ के अंतर्गत आती है, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत नगर निगम क्षेत्र में वन अधिकार के क्रियांवयन हेतु ग्राम/ मोहल्ला वन अधिकार समिति का गठन दिनांक 02.04.2015 को वार्ड क्र॰ 11 (दयानन्द वार्ड) का किया गया है, इसकी प्रति संलग्न है, मोहल्ला वन अधिकार समिति का गठन कलेक्टर जिला सिंगरौली के पत्र क्रमांक 579/ आदि॰ वि॰/ वन अधी॰/2015, सिंगरौली दिनांक 02.03.2015 के तहत किया गया है।

व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकार के दावों को प्राप्त करने के लिए गठित मोहल्ला वन अधिकार समिति दयानन्द वार्ड क्रमांक 11 में बोदरहवा टोला ग्राम झींगुरदह में पहली मीटिंग 25.01.2016 को प्रातः 11.00 बजे आहूत की गयी इसके बाद प्रत्येक बुधवार को बैठक कर संबन्धित वार्ड निवासियों के वन भूमि पर दावों के बारे में जानकारी दी गई है, एवं दावे प्रस्तुत करने आवाहन किया गया। दावे प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार- प्रसार किया गया।

दिनांक 25/1/2016 को मोहल्ला वन अधिकार समिति ने अपने बैठको का सारवृत्य मोहल्ला समिति के समक्ष रखा जिसमे बीना ककरी एकीकरण परियोजना की प्रस्तावित संरक्षित व॰खंड दूधिचुआ (पी- 258, 259,260,261 एवं 262) में रकबा 370.152 हे॰ वन भूमि एवं 20.112 हे॰ राजस्व वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु दावों के लिए दिनांक 25/1/2016 से दिनांक 10/2/2016 तक प्रत्येक बुधवार को मोहल्ला वनाधिकार सभा की बैठक होती रही किन्तु संरक्षित वन खंड रकबा 390.264 हे॰ में व्यक्तिगत एवं सामुदायिक मान्य दावे नहीं पाये गये।

अतः मोहल्ला वनाधिकार समिति वार्ड क्र. 11 (दयानन्द [illegible]) को बीना ककरी एकीकरण परियोजना द्वारा प्रस्तावित वन भूमियो का उत्खनन हेतु व्यपवर्तन [illegible] किसी प्रकार की आपत्ति नही है, मोहल्ला वनाधिकार समिति वार्ड क्र. 11, बीना परियोजना द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा करती है।

अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है ।

अध्यक्ष	सचिव	जोन प्रभारी
मोहल्ला वनाधिकार समिति	मोहल्ला वनाधिकार समिति	नगर पालिक निगम
वार्ड क्र. 11	वार्ड क्र. 11	सिंगरौली मोरवा

प्रतिलिपि: 2947 दि० 16/02/016

1. सहायक आयुक्त (आदिवासी विकास), जिला सिंगरौली (म. प्र.)
2. सचिव, उपखंड स्तरीय वनाधिकार समिति
3. महाप्रबंधक, बीना परियोजना, एन. सी. एल.

O/C

Received

16/02/2016

Annexure - 4

कार्यालय नगरपालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म0प्र0)

क्रमांक /16887/उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति/2016 सिंगरौली दिनांक–

कार्यावाही विवरण

कलेक्टर, जिला–सिंगरौली के आदेश क्रमांक/3079/आदि0वि0/वन अधि0/41/2015, सिंगरौली, दिनांक 12/10/2015 के अनुसार गठित उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, बैढ़न, सिंगरौली (म0प्र0) की बैठक दिनांक 24 फरवरी 2016 को उपायुक्त/नगर निगम/सचिव उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, के सूचना क्रमांक /15975/उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति/2016, सिंगरौली, दिनांक 16–02–16 के उपरान्त हुई।

(अ) **इस बैठक में निगाही परियोजना के वन भूमि से संबन्धित हुई कार्यवाही का ब्यौरा निम्नलिखित है :–**

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में एन0सी0एल0 के निगाही खुली खदान के लिये 424.517 हे0 वन भूमि व्यपवर्तन (डायवर्सन) के लिये अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् निगाही परियोजना के प्रस्तावित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों के लिये व्यक्तिगत या सामूहिक दावा प्राप्त करने एवं आगे के कार्यवाही हेतु संबंधित लक्ष्मीबाई वार्ड क0– 2 (ग्राम मुहेर एवं निगाही) एवं तानसेन वार्ड क0– 10 (मेढौली) के मोहल्ला समितियों द्वारा गठित मोहल्ला वन अधिकार समितियों की कार्यवाही की जॉच किया गया। उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति के जॉच के उपरान्त बिन्दुवार निम्नलिखित बातें पायी गयी।

1– दिनॉक 17 मार्च 2015 को स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किया गया जिसमें निगाही परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तन संबंधित ग्राम मेढौली, मुहेर एवं निगाही के वार्डो में दिनॉक 01/04/2015 को मोहल्ला समितियों / वन अधिकार समितियों की बैठक की जानकारी दी गई तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने की भी जानकारी दी गई।

2– लक्ष्मीबाई वार्ड क0 – 2 (ग्राम मुहेर एवं निगाही) एवं तानसेन वार्ड क0 –10 ग्राम मेढौली में मोहल्ला समिति द्वारा वन अधिकार समिति का गठन दिनॉक 01–04–15 एवं 02–04–15 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार किया गया है।

3– वन अधिकार समितियों की बैठक लक्ष्मीबाई वार्ड क0 – 2 (ग्राम मुहेर एवं निगाही) में दिनॉक 01–04–15 से दिनॉक 15–07–15 तक लगभग प्रत्येक बुधवार को होती रही तथा तानसेन वार्ड क0 – 10 (ग्राम मेढौली) में दिनॉक 02–04–15 से दिनॉक 08–07–2015 तक लगभग प्रत्येक बुधवार को होती रही। लक्ष्मीबाई वार्ड क0 – 2 (ग्राम मुहेर एवं निगाही) एवं तानसेन वार्ड – 10 (ग्राम मेढौली) में मोहल्ला समितियों एवं मोहल्ला वन अधिकार समितियों द्वारा भी व्यापक प्रचार एवं प्रसार कर बताया गया कि निगाही परियोजना के प्रस्तावित 424.517 हे0 वन भूमि से संबंधित कोई अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी यदि

FRA

कोई वन अधिकार संबंधी उचित दावा रखते हैं तो वह संबंधित दस्तावेज के साथ वन अधिकार से संबंधित व्यक्तिगत या सामूहिक दावा प्रस्तुत करें।

4— दिनॉक 15—7—2015 को (लगभग 3 महीने उपरान्त) लक्ष्मीबाई वार्ड क्र0 — 2 (ग्राम — मुहेर एवं निगाही) एवं दिनॉक 08—07—2015 को (लगभग 3 महीने उपरान्त) तानसेन वार्ड क्र0 — 10 (ग्राम — मेढौली) दोनों वार्डो के मोहल्ला वन अधिकार समितियों ने अपने बैठकों का सारवृत्त मोहल्ला समिति के समक्ष रखा जिसमें निगाही परियोजना के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमियों पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी द्वारा वन अधिकार से संबंधित व्यक्तिगत या सामूहिक मान्य दावेदार नहीं पाये गये। तदुपरान्त मोहल्ला समितियों ने निगाही परियोजना के प्रस्तावित वन भूमियों पर उत्खनन हेतु व्यपवर्तन किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्ज की गई। अन्ततः दोनों वार्डों के मोहल्ला वन अधिकार समितियों के कार्यवाही से संतुष्ट होकर मोहल्ला समिति लक्ष्मीबाई वार्ड क्र0 — 2 (ग्राम — निगाही एवं मुहेर) एवं तानसेन वार्ड क्र0 — 10 (ग्राम — मेढौली) ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् निगाही परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमियों के व्यपवर्तन की अनुशंसा की।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ने मोहल्ला समितियों / मोहल्ला वन अधिकार समितियों लक्ष्मीबाई वार्ड क्र0 —2 (ग्राम — निगाही एवं मुहेर) एवं तानसेन वार्ड क्र0 — 10 (ग्राम — मेढौली) के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार मी मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत् की गई कार्यवाही पर पूरी तरह संतुष्टि दिखाई तथा निगाही परियोजना के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमियों पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी द्वारा वन अधिकार से संबंधित व्यक्तिगत या सामूहिक मान्य दावेदार नहीं होने की स्थिति में यह पाया कि किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों का विनिश्चय करने की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ने निगाही परियोजना के प्रस्तावित वन भूमियों पर उत्खनन हेतु व्यपवर्तन किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं दर्ज की गई एवं प्रस्तावित वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के व्यक्तिगत या सामूहिक दावेदार नहीं पाये गये।

अतः उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति निगाही परियोजना के लिये प्रस्तावित 424.517 हे0 वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत् प्रस्तावित वन भूमियों पर उत्खनन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा करती है।

(ब) इस बैठक में बीना परियोजना के वन भूमि से संबन्धित हुई कार्यवाही का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

2— कलेक्टर, जिला सिंगरौली के आदेश क्रमांक 3079/आदि.वि.अधि./41/2016 सिंगरौली दिनांक 12.10.2015 के अनुसार गठित उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, बैढ़न सिंगरौली (म0प्र0) की बैठक दिनांक 24.02.2016 को उपायुक्त, नगरपालिक निगम

ारौली/सचिव, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति, के सूचना क्रमांक/15975/उपखण्ड
रीय वनाधिकार समिति/2016 सिंगरौली दिनांक 10.02.2016 के उपरान्त हुई कार्यवाही के
रा निम्न लिखित है:-

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक में एन.सी.एल. के बीना परियोजना के
ी खदान के लिए 370.152 हे. वन भूमि तथा 20.112 हे. राजस्व वन भूमि का कुल 390.
हे. वन भूमि के व्यपवर्तन (डायवर्सन) के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत
निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत बीना ककरी एकीकरण
योजना के लिए प्रस्तावित वन भूमि में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत निवासी के
अधिकारो के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक दावा प्राप्त करने एवं आगे के कार्यवाही हेतु
धित वार्ड क्रमांक 11 (दयादन्द वार्ड) के चार ग्रामो (दुद्धीचुआ 69.645 हे. करूआरी-76.089
चुरीदेह-196.530 एवं झीगुरदह-48.00 हे0) के मूहल्ला वनाधिकार समिति के कार्यवाही का
य किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति के जांच उपरान्त निम्नलिखित बाते
ी गयी।

दिनांक 22.01.2016 एवं 01.02.2016 को क्रमशः स्थानीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं
क जागरण में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किया गया जिसमें बीना, ककरी एकीकरण
प्रोजना के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन संबन्धित चार ग्रामो दुद्धीचुआ, करूआरी, चुरीदेह एवं
ुरदह के वार्ड क0 11 में दिनांक 25.01.2016 को मोहल्ला वनाधिकार समिति वार्ड क0 11
द्वारा बैठक किया गया जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी के वन
कारो के दावो को प्रस्तुत करने की जानकारी दी गयी।

वनाधिकार समितियों के बैठक दयानन्द वार्ड क0 11 में दिनांक 25.01.2016 से 10.02.
6 तक प्रत्येक बुधवार को होती रही। मोहल्ला वनाधिकार समिति द्वारा भी व्यापक प्रचार
र कर बताया गया कि बीना ककरी एककीकरण परियोजना के प्रतावित 390.264 हे0 वन
से संबन्धित कोई अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत अन्य निवासी यदि कोई वन
कार संबंघित उचित दावा रखते है तो वह संबन्धित दस्तावेजो के साथ व्यक्तिगत या
हित दावा प्रस्तुत करें।

दिनांक 10.02.2016 वार्ड क0 11 के मोहल्ला वन अधिकार समिति ने अपने बैठक का सार
मोहल्ला समिति के समक्ष रखा जिमें बीना ककरी एकीकरण परियोजना के व्यपवर्तन के
प्रस्तावित वन भूमियो पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी
वन अधिकार से संबन्धित व्यक्तिगत या सामूहिक कोई दावा नही प्राप्त किये गये। तद्
ान्त मेाहल्ला समिति वार्ड क0 11 द्वारा बीना ककरी एकीकरण परियोजना वन भूमियो पर
नन कार्य हेतु किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नही की गई। अन्ततः दयानन्द वार्ड क0 11
ोहल्ला वन अधिकार समिति ने अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी
अधिकरो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु
वित वन भूमियो के व्यपवर्तन की अनुशंसा की।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ने मोहल्ला वन अधिकार समिति वार्ड क0 11
ार ग्रामो (दुद्धीचुआ, करूआरी, चूरीदेह एवं झिगुरदह) के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकरो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत की गई

कार्यवाही पर पूरी तरह संतुष्टि दिखाई तथा बीना ककरी एकीकरण परियोजना के व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमियो पर कोई भी अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी द्वारा वन अधिकार से संबन्धित व्यक्तिगत या सामूहिक मान्य दावेदार नही होने की स्थिति में यह पाया गया कि किसी भी अनुसूचित जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारो का विनिश्चय करने की आवश्यकता नही है।

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति ने बीना परियोजना द्वारा बीना ककरी एकीकरण परियोजना के लिए प्रस्तावित वन भूमियो का व्यपवर्तन कोयले के उत्खनन कार्य हेतु किसी प्रकरण की आपत्ति दर्ज नही की गई एवं प्रस्तावित वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी के व्यक्तिगत या सामूहिक दावेदार नही पाये गये ।

अतः उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बीना परियोजना द्वारा बीना ककरी एकीकरण परियोजना के लिए प्रस्तावित 390.264 हे. वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तावित वन भूमियो पर उत्खनन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा करती है।

अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति/
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड बैढ़न

सचिव 24/2/16
उपायुक्त, उपखण्ड स्तरीय वन
अधिकार समिति
नगर निगम, सिंगरौली

उप वन मण्डलाधिकारी
उप वनमण्डल, बैढ़न

24/02/16
नगरीय संस्था के प्रतिनिधि
(जोनल अधिकारी)
नगर निगम, सिंगरौली

24/2/16
श्री जनकधारी सिंह गोंड
पार्षद, वार्ड क0–01

श्रीमती अनारकली
पार्षद, वार्ड क0–06

मुनिया
श्रीमती मुनिया देवी
पार्षद, वार्ड क0–07